

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश,  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक

/ नग्रानि / स्था. / 2013


भोपाल, दिनांक

// कार्यालयीन आदेश //

श्री अजय कुमार अग्रवाल, स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 (निज सचिव) को आगामी आदेश तक स्टेनोग्राफर ग्रेड-1 (स्टाफ आफीसर) के पद पर वेतनमान रूपये 9300-34800+4200 ग्रेड पे में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत कर नगर तथा ग्राम निवेश मुख्यालय भोपाल में पदस्थ किया जाता है ।

1. मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है ।
2. प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया है तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है ।


यह आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिनों के भीतर संबंधित कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा ।

  
(गुलशन बामरा)  
आयुक्त सह संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
म.प्र. भोपाल

पृ.क्रमांक 4946 / नगानि / स्था. / 2013  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 27/9/13

1. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल को सूचनार्थ ।
2. श्री अजय कुमार अग्रवाल, स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 (निज सचिव), नगर तथा ग्राम निवेश, मुख्यालय भोपाल को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
3. व्यक्तिगत नस्ती हेतु ।
4. गार्ड फाईल ।



(गुलशन बामरा)  
आयुक्त सह संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश,  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक

/नग्रानि/स्था./2013

भोपाल, दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

श्री एस.एन.सांकला, स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 (निजी सहायक) को आगामी आदेश तक स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 (निज सचिव) के पद पर वेतनमान रूपये 9300-34800+3600 ग्रेड पे में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत कर नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय उज्जैन में पदस्थ किया जाता है ।

2. मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया है तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिनों के भीतर संबंधित कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(गुलशन बामरा)

आयुक्त सह संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
म.प्र. भोपाल


पृ.क्रमांक  
प्रतिलिपि:-

4960

/नगानि/स्था./2013

भोपाल, दिनांक 27-9-13

1. ~~सयुक्त संचालक~~ नगर तथा ग्राम निवेश, उज्जैन को सूचनार्थ।
2. श्री एस.एन.सांकला, स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 (निजी सहायक), नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय उज्जैन को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. व्यक्तिगत नस्ती हेतु।
4. गार्ड फाईल।

  
(मुलशन बामरा)

आयुक्त सह संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश,  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक

/नग्रानि/स्था./2013

भोपाल, दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

निम्नलिखित अन्वेषकों को आगामी आदेश तक रिसर्च सहायक के पद पर वेतनमान रूपये 9300-34800+3200 ग्रेड पे में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत कर उनके नाम के समक्ष दर्शाये स्थान पर पदस्थ किया जाता है:-

क्रमांक	नाम एवं वर्तमान पदस्थापना स्थान	स्थान जहां पदस्थ किया गया है
1.	मो.अंसार खान जि.का.विदिशा	जि.का. विदिशा
2.	श्री अयूब कुरैशी, मुख्यालय भोपाल	मुख्यालय भोपाल
3.	श्री आर.बी.शर्मा, जि.का. सागर	जि.का. सागर
4.	श्री आशीष तिवारी, नर्मदाघाटी वि.प्रा.भोपाल	नर्मदाघाटी वि.प्रा. भोपाल
5.	श्रीमती श्लेषा बरकडे, मुख्यालय भोपाल	मुख्यालय भोपाल

1.मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया है तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिनों के भीतर संबंधित कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(गुलशन बामरा)

आयुक्त सह संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
म.प्र. भोपाल

पृ.क्रमांक  
प्रतिलिपि:-

4950

/नगानि/स्था./2013

भोपाल, दिनांक 27-9-13

1. संचालक (प्रशासन) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल/सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, विदिशा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल को सूचनार्थ ।
5. संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
5. व्यक्तिगत नस्ती हेतु ।
6. गार्ड फाईल ।

(गुलशन बामरा)

आयुक्त सह संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश,  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक

/नग्रानि/स्था./2013

भोपाल, दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

निम्नलिखित वरिष्ठ भू-मापकों को आगामी आदेश तक उपयंत्री के पद पर वेतनमान रूपये 9300-34800+3200 ग्रेड पे में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत कर उनके नाम के समक्ष दर्शाये स्थान पर पदस्थ किया जाता है:-

क्रमांक	नाम एवं वर्तमान पदस्थापना स्थान	स्थान जहां पदस्थ किया गया है
1.	श्री राम मनोहर पटेल, जि.का. जबलपुर	जि.का. कटनी
2.	श्री राकेश कुमार गुप्ता, जि.का. इंदौर	जि.का. झाबुआ
3.	श्री दिनेश कुमार राठौर, जि.का. उज्जैन	जि.का. नीमच

1. मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया है तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिनों के भीतर संबंधित कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(गुलशन बामरा)

आयुक्त सह संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
म.प्र. भोपाल

4952

पृ.क्रमांक / नगानि / स्था. / 2013  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 27-9-13

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल / उज्जैन / जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय नीमच को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय कटनी / झाबुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. व्यक्तिगत नस्ती हेतु।
6. गार्ड फाईल।

  
(गुलशन बामरा)  
आयुक्त सह संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश,  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक

/नग्रानि/स्था./2013

भोपाल, दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

निम्नलिखित अनुरेखकों को आगामी आदेश तक सहायक मानचित्रकार के पद पर वेतनमान रूपये 5200-20200+2400 ग्रेड पे में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत कर उनके नाम के समक्ष दर्शाये स्थान पर पदस्थ किया जाता है:-

क्रमांक	नाम एवं वर्तमान पदस्थापना स्थान	स्थान जहां पदस्थ किया गया है
1.	श्री आनंद मालवीय, जि.का. छिन्दवाड़ा	जि.का. छिन्दवाड़ा
2.	श्रीमती राधा श्रीवास्तव, मुख्यालय भोपाल	मुख्यालय भोपाल
3.	श्री बुद्धदेव सिंह, जि.का. रीवा	जि.का. रीवा
4.	श्री अशोक श्रीवास्तव, जि.का. ग्वालियर	जि.का. ग्वालियर
5.	श्री एम.एल.दरियानी, जि.का. भोपाल	जि.का. भोपाल
6.	श्री अंसार हुसैन, अनुरेखक मुख्यालय भोपाल	मुख्यालय भोपाल
7.	श्री महेन्द्र कुमार आदिवासी, जि.का.गुना	जि.का. श्योपुर

1.मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया है तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिनों के भीतर संबंधित कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(गुलशन बामरा)

आयुक्त सह संचालक,

नगर तथा ग्राम निवेश,

म.प्र. भोपाल

4958  
पृ.क्रमांक /नग्रानि/स्था./2013  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 27-9-13

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल/रीवा/  
ग्वालियर को सूचनार्थ।
2. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, होशंगाबाद/गुना/द्विदवाडा को  
सूचनार्थ।
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, श्योपुर को सूचनार्थ  
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल को सूचनार्थ।
5. संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. व्यक्तिगत नस्ती हेतु।
7. गार्ड फाईल।

  
(गुलशन बामरा)  
आयुक्त सह संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश,  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक

/नग्रानि/स्था./2013

भोपाल, दिनांक

// कार्यालयीन आदेश //

निम्नलिखित सहायक ग्रेड-1 को आगामी आदेश तक सहायक अधीक्षक के पद पर वेतनमान रूपये 9300-34800+3200 ग्रेड पे में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत कर उनके नाम के समक्ष दर्शाये स्थान पर पदस्थ किया जाता है:-

क्रमांक	नाम एवं वर्तमान पदस्थापना स्थान	स्थान जहां पदस्थ किया गया है
1.	श्री इम्तियाज कुरैशी, जि.का. भोपाल	जि. का. भोपाल
2.	श्रीमती अनामिका लहरी, मुख्यालय भोपाल	मुख्यालय भोपाल
3.	श्री एस.एन.चौहान, जि.का. उज्जैन	जि.का. उज्जैन
4.	श्रीमती मालती निकोसे, मुख्यालय भोपाल	मुख्यालय भोपाल
5.	श्री जी.डी.बबलानी, मुख्यालय भोपाल	मुख्यालय भोपाल

1. मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया है तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिनों के भीतर संबंधित कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(गुलशन बामरा)

आयुक्त सह संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
म.प्र. भोपाल

4948  
पृ.क्रमांक /नग्नानि/स्था./2013  
प्रतिलिपि:—

भोपाल, दिनांक 27-9-13

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल/उज्जैन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल को सूचनार्थ।
3. संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. व्यक्तिगत नस्ती हेतु।
5. गार्ड फाईल।

  
(गुलशन बामरा)  
आयुक्त सह संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश,  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक

/नग्रानि/स्था./2013

भोपाल, दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

निम्नलिखित सहायक ग्रेड-2 को आगामी आदेश तक सहायक ग्रेड-1 के पद पर वेतनमान रूपये 5200-20200+2800 ग्रेड पे में पदोन्नति से रिक्त होने वाले संभावित पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत कर उनके नाम के समक्ष दर्शाये स्थान पर पदस्थ किया जाता है:-

क्रमांक	नाम एवं वर्तमान पदस्थापना स्थान	स्थान जहां पदस्थ किया गया है
1.	श्री बी.एस.बिष्ट, मुख्यालय भोपाल	मुख्यालय भोपाल
2.	श्री इफितखार कुरैशी, जि.का.विदिशा	जि.का.गुना
3.	श्री एस.सी.द्विवेदी, जि.का.इंदौर	जि.का. सागर
4.	श्री घनश्याम देवाल, जि.का.नीमच	जि.का.नीमच

1. मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया है तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिनों के भीतर संबंधित कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा।


(गुलशन बामरा)

आयुक्त सह संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
म.प्र. भोपाल

4956  
पृ.क्रमांक /नग्रानि/स्था./2013  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 27-9-13

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल/ इंदौर/सागर को सूचनार्थ।
2. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, गुना/नीमच को सूचनार्थ।
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, विदिशा को सूचनार्थ।
4. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल को सूचनार्थ।
5. संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. व्यक्तिगत नस्ती हेतु।
7. गार्ड फाईल।

  
(गुलशन बामरा)  
आयुक्त सह संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश,  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक

/नग्रानि/स्था./2013

भोपाल, दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

निम्नलिखित सहायक ग्रेड-3 को आगामी आदेश तक सहायक ग्रेड-2 के पद पर वेतनमान रूपये 5200-20200+2400 ग्रेड पे में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत कर उनके नाम के समक्ष दर्शाये स्थान पर पदस्थ किया जाता है:-

क्रमांक	नाम एवं वर्तमान पदस्थापना स्थान	स्थान जहां पदस्थ किया गया है
1.	श्री एस.के.निम्बालकर, जि.का. भोपाल	जि.का. भोपाल
2.	श्रीमती रीता मिश्रा, जि.का. रीवा	जि.का.रीवा
3.	श्रीमती कुसुम भावसार, जि.का. इंदौर	जि.का. इंदौर
4.	श्री जी.एस.बैस, जि.का. उज्जैन	जि.का.झाबुआ
5.	श्रीमती सफिया खान, जि.का. भोपाल	जि.का.भोपाल
6.	श्री ई.जे.जॉन, जि.का. इंदौर	जि.का.देवास

1.मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया है तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबंधो का पूर्ण संज्ञान है।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिनों के भीतर संबंधित कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(गुलशन बामरा)


आयुक्त सह संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
म.प्र. भोपाल

4962

पृ. क्रमांक / नग्रानि / स्था. / 2013  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 27-9-13

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल/इंदौर/रिया/उज्जैन को सूचनार्थ।
2. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, देवास को सूचनार्थ।
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, झाबुआ को सूचनार्थ।
4. संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. व्यक्तिगत नस्ती हेतु।
6. गार्ड फाईल।

  
(गुलशन बामरा)  
आयुक्त सह संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश,  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक

/नग्रानि/स्था./2013

भोपाल, दिनांक

// कार्यालयीन आदेश //

निम्नलिखित सहायक ग्रेड-2 को आगामी आदेश तक सहायक ग्रेड-1 के पद पर वेतनमान रूपये 5200-20200+2800 ग्रेड पे में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत कर उनके नाम के समक्ष दर्शाये स्थान पर पदस्थ किया जाता है:-

क्रमांक	नाम एवं वर्तमान पदस्थापना स्थान	स्थान जहां पदस्थ किया गया है
1.	श्रीमती रोज मौली मुख्यालय भोपाल	मुख्यालय भोपाल
2.	श्रीमती सुषमा शुक्ला, मुख्यालय भोपाल	मुख्यालय भोपाल
3.	श्री पी.के.परमार जिला.का.देवास	जि.का. खण्डवा
4.	श्री एम.एल.मालवीय, जि.का.होशंगाबाद	जि.का.होशंगाबाद
5.	श्री के.के.जैन, मुख्यालय भोपाल	मुख्यालय भोपाल
6.	श्रीमती सोफिया सिद्दीकी, मुख्यालय भोपाल	मुख्यालय भोपाल
7.	श्री बाबूलाल वर्मा, जि.का.रतलाम	जि.का.रतलाम
8.	श्री घनश्याम कोरी, जि.का.जबलपुर	जि.का. सतना

1. मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया है तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिनों के भीतर संबंधित कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(गुलशन बामरा)

आयुक्त सह संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
म.प्र. भोपाल

पृ.क्रमांक 4954/नग्रानि/स्था./2013  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 27-9-13

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल/जबलपुर को सूचनार्थ ।
2. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, रतलाम/देवास/सतना /होशंगाबाद/खण्डवा को सूचनार्थ ।
3. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल को सूचनार्थ ।
4. संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
5. व्यक्तिगत नस्ती हेतु ।
6. गार्ड फाईल ।

~~(गुलशन बामरा)~~  
आयुक्त सह संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश,  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक

/नग्रानि/स्था./2013

भोपाल, दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

निम्नलिखित सहायक ग्रेड-3 को आगामी आदेश तक सहायक ग्रेड-2 के पद पर वेतनमान रूपये 5200-20200+2400 ग्रेड पे में पदोन्नति से रिक्त होने वाले संभावित पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत कर उनके नाम के समक्ष दर्शाये स्थान पर पदस्थ किया जाता है:-

क्रमांक	नाम एवं वर्तमान पदस्थापना स्थान	स्थान जहां पदस्थ किया गया है
1.	श्री एन.डी.शर्मा, मुख्यालय भोपाल	मुख्यालय भोपाल
2.	श्री आनंद गोसाईं, जि.का. होशंगाबाद	जि.का. होशंगाबाद
3.	श्री दिनेश ठोम्बरे, मुख्यालय भोपाल	मुख्यालय भोपाल
4.	श्री आर.एस.मेहता, मुख्यालय भोपाल	जि.का.राजगढ़
5.	श्री सखावत खान, जि.का.ग्वालियर	जि.का. ग्वालियर
6.	श्रीमती कैलाशी कुशवाहा, मुख्यालय भोपाल	मुख्यालय भोपाल

1.मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया है तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिनों के भीतर संबंधित कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(गुलशन बामरा)

आयुक्त सह संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
म.प्र. भोपाल

पृ.क्रमांक 4944/नग्रानि/स्था./2013  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 27/9/10

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल/ ग्वालियर को सूचनार्थ।
2. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, होशंगाबाद को सूचनार्थ।
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, राजगढ़ को सूचनार्थ।
4. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल को सूचनार्थ।
5. संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. व्यक्तिगत नस्ती हेतु।
7. गार्ड फाईल।

  
(गुलशन बामरा)  
आयुक्त सह संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश,  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक

/नग्रानि/स्था./2013

भोपाल, दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

निम्नलिखित भृत्यों को आगामी आदेश तक सहायक ग्रेड-3 के पद पर वेतनमान रूपये 5200-20200+1900 ग्रेड पे में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत कर उनके नाम के समक्ष दर्शाये स्थान पर पदस्थ किया जाता है:-

क्रमांक	नाम एवं वर्तमान पदस्थापना स्थान	स्थान जहां पदस्थ किया गया है
1.	श्री पी.के.पाण्डे, जि.का. सतना	जि.का. सतना
2.	श्री मोतीलाल सोलंकी, जि.का.नीमच	जि.का.नीमच
3.	श्री प्रताप सिंह नेगी, मुख्यालय भोपाल	मुख्यालय भोपाल
4.	श्री दिनेश यादव, मुख्यालय भोपाल	मुख्यालय भोपाल
5.	श्री लीलाधर पन्त जि.का. भोपाल	जि.का.भोपाल
6.	श्री हरि सिंह महावर, जि.का.राजगढ़	जि.का.राजगढ़

1. मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया है तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिनों के भीतर संबंधित कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(गुलशम बामरा)

आयुक्त सह संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
म.प्र. भोपाल

4966

पृ.क्रमांक /नग्रानि/स्था./2013  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 27-9-13

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल को सूचनार्थ।
2. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सतना/नीमच को सूचनार्थ।
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, राजगढ़ को सूचनार्थ।
4. संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. व्यक्तिगत नस्ती हेतु।
6. गार्ड फाईल।
7. जे.रेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश।

  
(गुलशन बामरा)  
आयुक्त सह संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
म.प्र. भोपाल